पत्रांक–8/भू0सु0को0(प्रतिवेदन)–06/2018– 965 (8)/रा0,

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

ब्रजेश मेहरोत्रा,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

-मेल/फैक्स

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक–20/12/2018

विषय – ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी कार्यक्रम के तहत बेदखल पर्चाधारियों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्यान्तर्गत वासभूमिहीन सुयोग्य श्रेणी के परिवारों/लाभार्थियों को सरकार द्वारा आवंटित भूमि से बेदखली के मामलों में दिनांक–01.06.2018 से 31.08.2018 तक की अवधि में विशेष अभियान चलाकर ऐसे मामलों को चिन्हित करने एवं दखल दिलाने का निदेश राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से निर्गत पत्रांक–600(7), दिनांक–14.06.2018 द्वारा आपको संसूचित किया गया। तदोपरान्त विभागीय पत्रांक–914, दिनांक–03.10.2018 द्वारा आवंटित भूमि से बेदखल पर्चाधारियों को दखल दिलाये जाने हेतु उक्त निर्धारित समय–सीमा को दिनांक–01.09.2018 से दिनांक–31.12.2018 तक विस्तारित किया गया है। विशेष अभियान चलाकर बेदखल पर्चाधारियों को निर्धारित समय–सीमा के अन्दर दखल दिलाने हेतु विस्तृत दिशा–निदेश सभी जिला समाहर्त्ताओं को राजस्व विभागीय पत्रांक–510 दिनांक–18.05.2018, पत्रांक–562 दिनांक–01.06.2018 एवं पत्रांक–709 दिनांक–02.08.2018 द्वारा दिये गये हैं।

2. आप अवगत हैं कि ऑपरेशन भूमि दखल–दहानी सरकार की एक लोकोपयोगी योजना एवं जनहित से सम्बन्धित कार्यक्रम है। बेदखली के मामलों में लाभार्थियों को दखल दिलाने के शतप्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सरकार का उद्देश्य है। एतदर्थ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से पूर्व में समय–समय पर अनेक पत्र/परिपत्र निर्गत एवं संसूचित किये गये हैं तथा विशेष अभियान चलाकर शतप्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निदेश दिये गये हैं। इस संबंध में यह भी निदेश संसूचित किया गया कि समाहर्त्ता जिला के वरीय पदाधिकारियों के नेतृत्व में टीम का गठन कर जिला के सभी अंचलों में पंचायतवार कार्यक्रम तैयार कर बेदखल किये गये पर्चाधारियों को चिन्हित कर उन्हें दखल दिलाने हेतु कैम्प का आयोजन करवायेंगे। तथापि, विभाग स्तर पर विभिन्न जिलों से इस योजना/कार्यक्रम के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा करने पर यह परिलक्षित हुआ है कि बेदखली के अनेक मामले लम्बी अवधि से दखल दिलाने हेतु अभी भी लंबित है। कतिपय मामलों में आवंटित भूमि/भू–खण्ड विभिन्न न्यायालय/न्यायालयों द्वारा लगाये गये रोक अर्थात स्थगन आदेश अथवा अन्य कारणों से दखल दिलाने की कार्रवाई पूर्ण नहीं हो रही है। अभी भी जिला स्तर पर 40,456 बेदखली के मामलों में दखल–देहानी लम्बित है। लम्बे समय तक बेदखली के कारण पर्चाधारियों में असंतोष उत्पन्न होता है, जो न्यायोचित नहीं है।

3. उक्त तथ्यों के आलोक में विषय की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए यह निदेश दिया जाता है कि बेदखली के वैसे मामले, जो एक लम्बी अवधि से कार्यान्वित नहीं हो सके हैं, की गहन समीक्षा की जाय तथा ऐसे सभी लंबित मामलों की जिला स्तर पर सूची तैयार की जाय एवं संलग्न प्रपत्र में विस्तृत प्रतिवेदन इस विभाग को Fax/E-mail के माध्यम से यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

अनु0—यथोक्त (प्रपत्र)।

विश्वासभाजन,

(ब्रजेश मेहरोत्रा),
प्रधान सचिव।

(प्रपत्र)

ऑपरेशन भूमि दखल–देहानी कार्यक्रम के तहत बेदखल पर्चाधारियों की सूची।

जिला का नाम :–.....

वाद संख्या	पर्चाधारियों की संख्या	आवंटित भूमि की प्रकृति/श्रोत (गैर मजरूआ बिहार सरकार/गैर मजरूआ आम/भू–हदबंदी की भूमि/बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट, 1947 के तहत/अन्य श्रोत से)	दखल–देहानी लंबित रहने का कारण	मंतव्य
1	2	3	4	5